

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश


प्रारूप-6

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्रसं	नाम मय पदस्थापन स्थान राउमावि	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	राजेन्द्र सिंह, रातंगा-जायल, नागौर	17.05.1958	31-05-2018
2	शांतीलाल जागेटिया, बीईईओ, भूपालसागर, चित्तोडगढ	06.05.1958	31-05-2018
3	भारमल विश्‍नोई, बीईईओ, सेडवा, बाडमेर	05.03.1958	31-03-2018
4	जगदीश प्रसाद शर्मा, गांगयावास-लालसोट, दौसा	29.01.1958	31-01-2018
5	होशियारमल, राजगढ, चुरू	11.05.1958	31-05-2018
6	छबीलाराम कुम्हार, बाय-तारानगर, चुरू	31.03.1958	31-03-2018
7	रामराज गौतम, भीममण्डी, कोटा	15.04.1958	30-04-2018
8	गोपालसिंह हाडा, आवां, कोटा	15.12.1958	31-12-2018
9	आशा शुक्ला, सराधना, अजमेर	05.05.1958	31-05-2018
10	धन्नालाल जैन, शिखरानी, अजमेर	01.06.1958	31-05-2018
11	गोकुलराम, मडगांव, जालौर	09.06.1958	30-06-2018
12	रामनाथ शर्मा, सरानीखेडा, धोलपुर	01.07.1958	30-06-2018
13	सतीश कुमार पत्रीया, बडा महुआ, भीलवाडा	04.01.1958	31-01-2018
14	नारायणी रेवाड़, ठिमोली, सीकर	26-01-1958	31-01-2018
15	सुनील कुमार माथुर, कुचामनसिटी, नागौर	05-01-1958	31-01-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिलेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2015-16

दिनांक : 24/1/2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को सेवानिवृत्त करने से पूर्व उपरोक्त प्रमाणिकरण की भलिभांति जांच करें।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर